पश्चिमी घाट पर याचिका

प्रिलिम्स के लिये:

पश्चिमी घाट, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए), गाडगिल समिति, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यूजीईईपी), कस्तूरीरंगन समिति।

मेन्स के लिये:

पश्चिमी घाटों का महत्त्व, पश्चिमी घाटों के समक्ष आने वाले खतरे।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक **जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL)** को खारिज कर दिया है, जिसने पश्चिमी घाट **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Areas-ESA)** पर **गाडगिल और कस्तूरीरंगन समितियों** को चुनौती दी थी।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA):

- ESA **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** के तहत संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा** अधिसूचित क्षेत्र हैं।
- इसका मूल उद्देश्य **राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना** है ताकि संरक्षित क्षेत्रों को शामिल करने वाले नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।

जनहित याचिका द्वारा की गई मांग:

- याचिकाकर्त्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से **पश्चिमी घाट में विशेषज्ञ पैनल (गाडगिल समिति रिपोर्ट) और उच्च स्तरीय कार्य समूह (कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट) की सिफारिशों को लागू नहीं करने** का अनुरोध किया था।
- याचिकाकर्त्ता ने न्यायालय से **केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC)** द्वारा **वर्ष 2018 के मसौदा अधिसूचना को अल्ट्रा वायरस (इसकी कानूनी शक्ति या अधिकार से परे)** घोषित करने के लिये कहा क्योंकि इससे नागरिकों के **जीवन के अधिकार** का उल्लंघन हो सकता है।
- याचिकाकर्त्ता ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की वर्ष 2014 की रिपोर्ट को लागू करने पर जोर दिया।
    - रिपोर्ट ने पश्चिमी घाटों में **पर्यावरणीय रूप से भंगुर भूमि (Environmentally Fragile Land-EFL)** के खंडों में परिवर्तन को लागू करने की सिफारिश की, जिसमें EFL क्षेत्रों को निर्धारित करने में हुई चूक को बताया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष:

- सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि **वर्ष 2018 में जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC)** मसौदा अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद जुलाई 2022 में **पाँचवी मसौदा अधिसूचना जारी की गई** थी।
    - जुलाई में जारी मसौदा अधिसूचना खनन, थर्मल पावर प्लांट और सभी **'रेड' श्रेणी के उद्योगों को ESA में आने से रोकती** है।
- न्यायालय को भारत के संविधान के **अनुच्छेद 32** के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का कोई कारण नहीं मिला।

समितियों के अनुसार

- **गाडगिल समिति:**
    - **पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (Western Ghats Ecology Expert Panel-WGEEP)** के रूप में भी जाना जाता है, इसने सिफारिश की कि पश्चिमी घाटों को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों (Ecological Sensitive Areas-ESA) के रूप में घोषित

कयिा जाए, केवल सीमति क्षेत्रों में सीमति वकिास की अनुमतदिी जाए।
    - इसने छह राज्यों में फैले पूरे पश्चमिी घाट को पारस्थितिकि संवेदनशील क्षेत्रों (ESZ) के रूप में वर्गीकृत कयिा, जसिमें 44 ज़लि और 142 तालुका शामलि हैं।
- **कस्तूरीरंगन समति:**
    - इसने गाडगलि रपिोर्ट द्वारा प्रस्तावति प्रणाली के वपिरीत वकिास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलति करने की मांग की।
    - **कस्तूरीरंगन समति** ने सफिारशि की कि पश्चमिी घाट के कुल क्षेत्रफल के बजाय, कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ही ESA के तहत लाया जाना चाहयि और ESA में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतबिंध लगाया जाना चाहयि।

पश्चमिी घाट

- **परचिय:**
    - पश्चमिी घाट भारत के पश्चमिी तट के समानांतर और **केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमलिनाडु और कर्नाटक राज्यों से गुज़रने वाले पहाड़ों की शृंखला से मलिकर बना है।**
- **महत्त्व:**
    - घाट भारतीय मानसून के मौसम के प्रतरिूप को प्रभावति करते हैं जो इस क्षेत्र की गर्म उष्णकटबिंधीय जलवायु में संतुलन स्थापति करते हैं।
    - वे दक्षणि-पश्चमि से आने वाली वर्षा से भरी मानसूनी हवाओं के लयि बाधा के रूप में कार्य करते हैं।
    - पश्चमिी घाट उष्णकटबिंधीय सदाबहार वनों के साथ-साथ वशि्व स्तर पर संकटग्रस्त 325 प्रजातयिों का घर है।

पश्चमिी घाट के लयि खतरा:

- **वकिासात्मक दबाव:**
    - कृषि वस्तिार और पशुधन चराई के साथ शहरीकरण इस क्षेत्र के लयि गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।
    - लगभग 50 मलियिन लोगों के पश्चमिी घाट क्षेत्र में रहने का अनुमान है, जसिके परणिामस्वरूप वकिासात्मक दबाव दुनयिा भर के कई संरक्षति क्षेत्रों की तुलना में अधकि है।
- **जैववविधिता संबंधति मुद्दे:**
    - वन क्षरण, आवास वखिंडन, आक्रामक पौधों की प्रजातयिों द्वारा **आवास क्षरण, अतक्रिमण और रूपांतरण भी घाटों को प्रभावति कर रहे हैं।**
    - पश्चमिी घाट में वकिास के दबाव के कारण होने वाले वखिंडन से संरक्षति क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव गलयिारों और उपयुक्त आवासों की उपलब्धता कम हो रही है।
- **जलवायु परविर्तन:**
    - मध्यवर्ती वर्षों में जलवायु संकट ने गतपिकड़ी है:
    - **पछिले चार वर्षों (2018-21) में** बाढ़ ने केरल के घाट क्षेत्रों को तीन बार तबाह कयिा है, जसिमें सैकड़ों लोग मारे गए और बुनयिादी ढाँचे और आजीवकिा को भारी नुकशान हुआ है।
    - वर्ष 2021 में कोंकण के घाट क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी थी।
    - अरब सागर के गर्म होने से चक्रवात भी तीव्रता से बढ़ रहे हैं, जसिसे पश्चमिी तट वशिेष रूप से संवेदनशील हो गया है।
- **औद्योगीकरण से खतरा:**
    - पश्चमिी घाट में ESA नीतकिी अनुपस्थतिकि कारण अधकि प्रदूषणकारी उद्योगों, खदानों, खानों, सड़कों और टाउनशपि की योजना बनाई जा सकती है।
    - इसका मतलब है कि भवषि्य में इस क्षेत्र के संवेदनशील परदृिश्य को और अधकि नुकसान होगा।

आगे की राह

- जलवायु परविर्तन जो कि सभी लोगों की आजीवकिा को प्रभावति करेगा और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकता है, को ध्यान में रखते हुए ऐसे संवेदनशील पारस्थितिकि तंत्र का संरक्षण ववकिपूर्ण तरीके से कयिा जाना चाहयि।
- वैज्ञानकि अध्ययन पर आधारति एक उचति वशि्लेषण के बाद संबंधति चतिाओं को दूर करने के लयि वभिन्नि हतिधारकों के बीच आम सहमतकिी तत्काल आवश्यकता है।
- वन भूमि, उत्पादों और सेवाओं पर खतरों तथा मांगों के बारे में समग्र दृष्टकिोण, शामलि अधकिारयिों के लयि स्पष्ट रूप से बताए गए उद्देश्यों के साथ इनसे नपिटने हेतु रणनीतितैयार होनी चाहयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

Q कभी-कभी सामाचारों में आने वाली 'गाडमलि समतिरिपोर्ट' और 'कस्तूरीरंगन समतिरिपोर्ट' संबंधति हैं (2016):

(a) संवैधानकि सुधारों से
(b) गंगा कार्य-योजना
(c) नदयिों को जोड़ने से

(d) पश्चिमी घाटों के संरक्षण से

उत्तर: (d)

- पश्चिमी घाट पर जनसंख्या दबाव, जलवायु परिवर्तन और विकास गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये वर्ष 2010 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गाडगिल समिति का गठन किया गया था।
- पश्चिमी घाट के सतत् एवं समावेशी विकास को बरकरार रखते हुए पश्चिमी घाट की जैवविविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2012 में डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया था।
- **अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।**

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/plea-on-western-ghats